



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- सीकर में कृषि उपज मंडी नीमकाथाना के रणधीर सिंह हाल अतिरिक्त सचिव कृषि उपज मंडी सीकर अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मंडी नीमकाथाना को 40,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जयपुर, दिनांक 02 अप्रैल 2026, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रणधीर सिंह हाल अतिरिक्त सचिव कृषि उपज मंडी सीकर अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मंडी नीमकाथाना जिला सीकर को परिवादी के परिजनों के नाम चार दूकानों के लाईसेंस जारी करने की एवज में परिवादी से 40,000/- रुपये बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया की एसीबी चौकी सीकर को एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई थी की आरोपी रणधीर सिंह हाल अतिरिक्त सचिव कृषि उपज मंडी सीकर अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मंडी नीमकाथाना जिला सीकर, परिवादी के परिजनों के नाम चार दूकानों के लाईसेंस जारी करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 80,000/- रुपये बतौर रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा हैं।

जिसपर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कयाल के सुपरवीजन में एसीबी की सीकर ईकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष मील मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी को परिवादी से 40,000/- रुपये बतौर रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला के सुपरविजन में पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।